झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–483 वर्ष 2017

इंडियन एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 16 सी, बीपिन पाल रोड, कोलकाता–700026, डाकघर एवं थाना–देशाप्रिय पार्क, जिला–24 परगना, कोकाटा (पश्चिम बंगाल) में है

.... प्रतिवादी संख्या 1/याचिकाकर्ता

बनाम्

नरेश कुमार मानेक, पे0–स्वर्गीय अमृत लाल मानेक, मैसर्स प्रेमजी रामजी मानेक के पार्टनर, निवासी–आई0ई0एल0, गोमिया, डाकघर एवं थाना–आई0ई0एल0 (गोमिया), जिला–बोकारो .... वादी/प्रतिवादी

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अजित कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए :– कोई नहीं

04/20.11.2018 याचिकाकर्ता भारतीय विस्फोटक प्राइवेट लिमिटेड, जो टाईटल सूट संख्या 22/2003 में प्रतिवादी सं0 1 हैं, दिनांक 23.09.2016 के आदेश से व्यथित है जिसके द्वारा सी0पी0सी0 के आदेश VII नियम 11 सपठित सी0पी0सी0 के आदेश XIV नियम 2 (2) के तहत इसके आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि वादी जो वर्ष 1970 में निष्पादित अवकाश और लाइसेंस समझौते के आधार पर याचिकाकर्ता के अधीन एक लाइसेंसधारी हैं,

उसे प्रतिवादी सं0 1 के टाईटल देने से इनकार करने से वर्जित है और इस प्रकार यह मुकदमा साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के तहत वर्जित है। याचिकाकर्ता की ओर से आगे की दलील यह है कि मुकदमा चलाने के लिए कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है और ऐसा होने पर, वाद खारिज किए जाने योग्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 इस प्रकार है:

''116. अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध स्थावर सम्पत्ति के किसी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार को, ऐसी अभिधृतिके चालू रहते हुए, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भू–स्वामी का ऐसी स्थावर सम्पत्ति पर, उस अभिधृति के आरम्भ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को, जो किसी स्थावर सम्पत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को, उस समय, जब ऐसी अनुज्ञप्ति दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था।''

3. साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के ऊपरी अवलोकन से पता चलता है कि विचारण के दौरान एक अनुज्ञप्तिधारी जमीन मालिक के स्वामित्व पर विवाद नहीं कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 के आधार पर, वादी, जो प्रतिवादी के अनुसार एक अनुज्ञप्तिधारी है, को उसके अधिकार, शीर्षक और हित की दावा करने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है, और इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता है कि मुकदमा वर्जित है। सी0पी0सी0 के आदेश VII नियम 11 के दायरे को सर्वोच्च न्यायालय ने ''सोपन सुखदेव सेबल और अन्य बनाम सहायक चैरिटी कमिश्नर और अन्य'' में स्पष्ट रूप

से समझाया गया है जो (2004)3 एससीसी 137 में रिपोर्ट किया गया। यह माना गया है कि यदि वादपत्र प्रकथन को सिर्फ पढ़ने पर यह पाया जाता है कि वादपत्र किसी कानून द्वारा वर्जित है तो सी0पी0सी0 के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वादपत्र को खारिज कर दिया जाएगा। इस स्तर पर प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में लिया गया बचाव या एक मुद्दा जो एक विचारणीय मुद्दा है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। जहां तक वाद हेतुक पर आधारित दलील का संबंध है, ट्रायल जज ने सही रूप से देखा है कि वादपत्र के पैराग्राफ संख्या 16 में, वादी ने विशेष रूप से कहा है कि वाद हेतुक पहली बार दिनांक 17.04.2002 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा डी0सी0एल0आर0 बेरमो की न्यायालय में विविध वाद संख्या–14/2002 में एक आवेदन दायर किया था और अंत में दिनांक 27.09.2003 को जब प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी को बेदखल करने की धमकी दी थी।

4. यह निवेदन किया गया है कि सूट में मुद्दों को पहले ही सुलझा लिया गया है और ऐसे में, सूट का विचारण होना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों में, मुझे लगता है कि विद्वान विचवारण न्यायाधीश ने सी0पी0सी0 के आदेश VII नियम 11 के तहत किए गया चुनौती पर विचार करने से इनकार करके सही किया है।

5. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)